Book No. 21 Serial No. 806
Date 09/07/24

Authorised u/s 85 of the Indian Evidence Act 1872 (Act 1 of 1872) Read with Section 8 (1) (a) of Notaries Act 1952 (Act LIII of 1952)

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3011143dc0a63397b13e
Receipt Date : 09-Jul-2024 12:48:43 pm
Receipt Amount : 20/-
Amount In Words : Twenty Rupees Only
Document Type : Partition
District Name : Ramgarh
Stamp Duty Paid By : AGAMLAL MAHTO
Purpose of stamp duty paid : DEED OF PARTITION
First Party Name : AGAMLAL MAHTO
Second Party Name : SAHAJNATH MAHTO
GRN Number : 2403006828

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

J. Ram
NOTARY. RAMGARH

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document.The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint,photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

NOTARY
RAMGARH

J. RAM Notary, Ramgarh
District duly Appointed &
authorised under the Notaries Act
1952 & Notaries Rules 1956
do here by certify that
this Batwara Nama 3 Sheet
Sheet ... made
Between Agam lal Mahto S/o Jugal Mahto Vill, Ghutwa OP PS Patratu Dist Ramgarh Jharkhand
And Sahaj Nath S/o Jugal Mahto Vill Ghutwa PS Patratu Dist Ramgarh Jharkhand
and indent D. Kumar
& supported by Witness...

the contents of the deed read over
and explained to the executant
who admitted to be correct

This Batwara certificated
certified at Ramgarh this 09th
day of July 2024 under
official Seal and signature

NOTARY, Govt. of Jharkhand, India, J. Ram, Regd. No. 1717/2016, Ramgarh

NOTARY
RAMGARH

NOTARY
J. [illegible]
RAMGARH
Govt. of Jharkhand, India

AGREEMENT/ E.T.C.

बंटवारानामा विलेख

यह परिवारिक बंटवारानामा का दस्तावेज विलेख आज तिथि–**09/07/2024** ई0 को निम्नलिखित तीनों पक्षों के बीच किया जा रहा है।

प्रथम पक्ष :– अगमलाल महतो पिता जुगल महतो, निवासी ग्राम–घुटुवा, ओ0पी0–बरकाकाना, थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) उसके अन्तर्गत इनके सभी विधिक वारिशान एवं उत्तराधिकारीगण शामिल माने जाऐगें जिन्हें इस विलेख में प्रथम पक्ष समझा जाएगा।

द्वितीय पक्ष :– सहजनाथ महतो पिता जुगल महतो, निवासी ग्राम–घुटुवा, ओ0पी0–बरकाकाना, थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) उसके अन्तर्गत इनके सभी विधिक वारिशान एवं उत्तराधिकारीगण शामिल माने जाऐगें जिन्हें इस विलेख में द्वितीय पक्ष समझा जाएगा।

चूंकि मौजा–घुटुवा, थाना नं0–59, ओ0पी0–बरकाकाना, थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़ अन्तर्गत खाता सं0–57, प्लॉट सं0–670 एवं 666 की भूमि उभय पक्षों के नाम सामुहिक रूप से तीन अलग–अलग केवाला से क्रमशः 02 डी0, 05 डी0 व 06 डी0, कुल रकवा–13 डी0 खरीदगी भूमि है जो आपस में सटा हुआ है व वर्तमान में खाता सं0–57, प्लॉट सं0–670 एवं 666 के भूमि की जमाबंदी पतरातु अंचल के रजिस्टर 02, भोल्युम नं0–02, पेज नं0–149 में उभय पक्षों के नाम से कायम है। वर्तमान में खाता सं0–57, प्लॉट सं0–670 एवं 666, रकवा–13 डी0 भूमि जिसकी चौहद्दी उ0–नासिर मियां व लतिफ मियां, द0–रामग पतरातु सड़क, पू0–अंशु पाठक, प0–प्रदीप अग्रवाल है। जिस भूमि को उभय पक्ष सहुलियत के हिसाब से कुल 13 डी0 भूमि को दो हिस्सों में क्रमशः 6.5 डी0 एवं 6.5 डी0 में दखलकार होना सुनिश्चित किये है जिससे कि भविष्य में दोनों पक्षकार अपने नाम से बिजली का कनेक्शन ले सके वो सहुलियत के हिसाब से अपना घर मकान बनाना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में आपस में तकरार न हो जिसके बावत् यह बंटवारानामा तैयार कर रहे हैं।

उभय दोनों पक्षकार अपने सहुलियत हेतू उक्त भूमि का बंटवारा सुनिशचित कर रहे है जो निम्नवत् कॉलम में दर्ज है :–

09/07/24

DISTRICT BAR ASSOCIATION

NOTARY

प्रथम पक्ष को प्राप्त सम्पति का विवरणः—

अगमलाल महतो पिता जुगल महतो, निवासी ग्राम—घुटुवा, ओ0पी0—बरकाकाना, थाना—पतरातु, जिला—रामगढ़ (झारखण्ड) को प्राप्त सम्पति का ब्यौरा—

मौजा—घुटुवा, थाना नं0—59, ओ0पी0—बरकाकाना, थाना—पतरातु, जिला—रामगढ़ अन्तर्गत खाता सं0—57, प्लॉट सं0—670 एवं 666, मध्ये—6.5 डी0 भूमि जिसकी हाल चौहद्दी उ0—लतिफ मियां, द0—रामगढ़ पतरातु सड़क, पू0—अंशु पाठक, प0—सहजनाथ महतो वाके होगी।

द्वितीय पक्ष को प्राप्त सम्पति का विवरणः—

सहजनाथ महतो पिता जुगल महतो, निवासी ग्राम—घुटुवा, ओ0पी0—बरकाकाना, थाना—पतरातु, जिला—रामगढ़ (झारखण्ड) को प्राप्त सम्पति का ब्यौरा—

मौजा—घुटुवा, थाना नं0—59, ओ0पी0—बरकाकाना, थाना—पतरातु, जिला—रामगढ़ अन्तर्गत खाता सं0—57, प्लॉट सं0—670 एवं 666, मध्ये—6.5 डी0 भूमि जिसकी हाल चौहद्दी उ0—नासिर मियां, द0—रामगढ़ पतरातु सड़क, पू0—अगमलाल महतो, प0—प्रदीप अग्रवाल वाके होगी।

1. यह कि, उपरोक्त सम्पति कॉलम में दर्ज भूमि पर दोनों पक्षकार अपना—अपना बिजली कनेक्शन लेवें, सुविधानुसार निर्माण कार्य करें, निवास करें व अपने सुविधानुसार जायज कागजात बनावें जिसमें किसी पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपति नहीं होगी।

2. यह कि, उभय पक्षकार अपने—अपने नाम से उतराधिकारी दाखिल—खारिज करवायें। किसी पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपति नहीं होगी।

NOTARY J. Ram JH NL-177 /15 RAMGARH Govt. of Jharkhand, India

03/7/24

अतः स्वस्थ्य चित एव पूर्ण होशों हवाश में तीनों पक्षकारों ने इस बंटवारानामा विलेख में अंकित सभी बातों को पढ़कर समझ लिया एवं गवाहों के सामने अपने अपने हस्ताक्षर बना दिया जो सनद रहे कि वक्त पर काम आवे।

Agam lal Mahto

गवाहों का हस्ताक्षरः— **प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर**

1.

2. Harilal Mahto

सहजनाथ महतो

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

NOTARY
RAMGARH